न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी श्री रतनलाल रैगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 876 / 2019

प्रार्थी बनाम अप्रार्थीगण

गोबरराम पुत्र श्री गणेशराम
जाति विश्नोई निवासी उम्मेदनगर
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

भूमिधारी तहसीलदार
तिंवरी

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़ उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :– सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक:– 22/01/2020

प्राथी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि– मुझ प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 190/1 रकबा 15 बीघा मौजा ग्राम उम्मेदनगर, तहसील तिंवरी मे आई हुई है। मेरी उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरा नाम गोपाराम पि. गणेश दर्ज कर दिया गया जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम गोबरराम पुत्र श्री गणेशराम हैं तथा मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि में मेरा नाम गोबरराम पुत्र श्री गणेशराम दर्ज हैं। राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरा नाम गोपाराम पि. गणेश गलत दर्ज कर दिया गया हैं, जिसको मैं अब उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर शुद्धि करवाना चाहता हूँ। जो इन दस्तावेजों से बखूबी गोबरराम पि. गणेशराम प्रमाणित होता हैं। राजस्व रेकर्ड में नाम अशुद्ध होने के कारण राजस्व रेकर्ड व मेरे अन्य दस्तावेजों में एकरूपता नहीं होने से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्ध करवाना चाहता हूँ और इसलिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भूमि खसरा नम्बर 190/1 रकबा 15 बीघा मौजा ग्राम उम्मेदनगर, तहसील तिंवरी में प्रार्थी का नाम गोपाराम पि. गणेश दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम गोबरराम पि. गणेशराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती किये जाने का आदेश सादिर फरमावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें भी प्रार्थी का सही नाम गोबरराम बताया है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में गोपाराम पि. गणेश के स्थान पर गोबरराम पि. गणेशराम किया जाना उचित है।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 190/1 रकबा 15 बीघा मौजा ग्राम उम्मेदनगर तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गोपाराम पि. गणेश के स्थान गोबरराम पि. गणेशराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 22/01/202 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner